

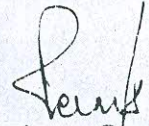
बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

जी/विविध-13/2007/... 9788
0.11.2012

आदेश

बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली-2011 के नियम-7(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियंत्री प्राधिकार गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा सुरक्षा गार्डों (पर्यवेक्षकों सहित) के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित रूप में पाठ्यक्रम बनाया जाता है:-

1. सामान्य उम्मीदवारों के लिए
कक्षा निर्देश - 100 घंटे
आउटडोर / क्षेत्र प्रशिक्षण - 60 घंटे
(न्यूनतम 20 कार्य दिवस)
2. भूतपूर्व सैनिकों एवं पूर्व पुलिस कर्मियों के लिए
कक्षा निर्देश - 40 घंटे
आउटडोर / क्षेत्र प्रशिक्षण - 16 घंटे
(न्यूनतम 7 कार्य दिवस)
अनुलग्नक- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संलग्न।


विशेष सचिव सह

नियंत्री प्राधिकार

गृह विभाग

बिहार, पटना

निजी सुरक्षा गार्ड के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली- 2011

[नियम- 7]

1. कक्षा निर्देश - 100 घंटे.
 2. क्षेत्र / आउटडोर प्रशिक्षण - 60 घंटे.
- (न्यूनतम 20 कार्य दिवसों)

कक्षा प्रशिक्षण

क्र० सं०	विषय वस्तु
1	निजी सुरक्षा अधिनियम, 2005
2	निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) नियम-2011
3	लोकाचार
4	सुरक्षा गार्ड की भूमिका एवं जिम्मेदारियों / उत्तरदायित्व
5	वर्दी नियम एवं सही वर्दी धारण
6	परिचय पत्र, पासपोर्ट और स्मार्ट कार्ड आदि दस्तावेजों की जाँच एवं पहचान
7	संकट कालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन
8	भारतीय दंड संहिता
9	आपराधिक प्रक्रिया संहिता
10	अग्निशमन
11	निजी सुरक्षा का अधिकार
12	प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया
13	आर्म्स एक्ट प्राथमिकी एवं एक्सप्लोसिव एक्ट (ऑपरेटिव अनुभाग)
14	शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, अपार्टमेंट / बिल्डिंग की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और घरेलू सुरक्षा
15	पुलिस और सेना के रैंक और बैज संबंधी ज्ञान
16	नेतृत्व, प्रबंधन (केवल पर्यवेक्षक के लिए), सामान्यतः उपयोग किये जानेवाले अंग्रेजी वर्णमाला तथा अरबी अंकों को पढ़ने, समझने एवं संवाद की समर्थता
17	सुरक्षात्मक वाहन चालन (बख्तरबंद वाहन चालक के लिए अनिवार्य तथा अन्य के लिए ऐच्छिक)
18	सॉफ्ट स्कील्स
19	दूरसंचार (वायरलेस आदि)
20	क्षेत्र भ्रमण और परीक्षण

क्षेत्र / आउटडोर प्रशिक्षण

क्र० सं०	विषय वस्तु
1	शारीरिक स्वस्थ्यतता
2	वर्दी धारण
3	शारीरिक प्रशिक्षण
4	परेड
5	अग्निशमन
6	भीड़ नियंत्रण
7	विस्फोटक साधनों की पहचान
8	प्राथमिक चिकित्सा
9	वाहन चालन (एहतियाती सुरक्षा)
10	हथियार संबंधी ज्ञान (बंदूकबाजी एवं निशानेबाजी) एवं (अन्य ऐच्छिक)
11	सुरक्षा उपकरणों एवं साधनों का ज्ञान (स्क्रीनिंग, तलाशी, अलार्म कॉल, एच०एच०एम०डि० एवं डी०एफ०एम०डी०)

प्रस्तावित निजी सुरक्षा अभिकरणों के कार्मिक के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली, 2011

[नियम -7]

1. कुल इंडोर प्रशिक्षण - 100 घंटे
2. क्षेत्र / आउटडोर प्रशिक्षण - 60 घंटे
(न्यूनतम 20 कार्य दिवस)

पूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस कर्मियों के लिए

1. कुल इंडोर प्रशिक्षण - 40 घंटे
2. क्षेत्र / आउटडोर प्रशिक्षण - 16 घंटे
(न्यूनतम 7 कार्य दिवस)

प्रस्तावित निजी सुरक्षा एजेंसियों कार्मिक के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

इनडोर प्रशिक्षण

प्रशिक्षण की कुल अवधि - 100 घंटे

कुल अवधि - 66 (प्रति प्रशिक्षण अवधि - 90 मिनट)

क्र० सं०	विषय वस्तु	अवधि
1	निजी सुरक्षा अधिनियम, 2005	2
2	निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) नियम-2011	2
3	लोकाचार	2
4	वर्दी नियम एवं सही वर्दी धारण	2
5	परिचय पत्र,, पासपोर्ट और स्मार्ट कार्ड आदि दस्तावेजों की जाँच एवं पहचान	2
6	संकट कालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन	4
7	भारतीय दंड संहिता	5
8	आपराधिक प्रक्रिया संहिता	6
9	साक्ष्य अधिनियम (इभिडेन्स एक्ट)	3
10	निजी सुरक्षा का अधिकार	2
11	प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया	2
12	आम्स एक्ट प्राथमिकी एवं एक्सप्लोसिव एक्ट (ऑपरेटिव अनुभाग)	6
13	शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, अपार्टमेंट / बिल्डिंग की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और घरेलु सुरक्षा	10
14	पुलिस और सेना के रैंक और बैज संबंधी ज्ञान	1
15	नेतृत्व, प्रबंधन एवं संवाद	3
16	अपराध परिदृश्य (क्राइम सिनारियो)	2
17	व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ	2
18	दूरसंचार (वायरलेस आदि)	2
19	क्षेत्र भ्रमण और परीक्षण	2 दिन

प्रस्तावित निजी सुरक्षा अभिकरण के कार्मिक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

आउटडोर प्रशिक्षण

कुल प्रशिक्षण अवधि - 60 घंटे (30 दिन)

कुल अवधि - 80 (प्रति अवधि 40 मिनट)

क्षेत्र / आउटडोर प्रशिक्षण

क्र० सं०	विषय वस्तु	कुल अवधि
1	शारीरिक स्वस्थता	2
2	वर्दी धारण	2
3	शारीरिक प्रशिक्षण	20
4	परेड	20
5	अग्निशमन	2
6	भीड़ नियंत्रण	4
7	विस्फोटक साधनों की पहचान	2
8	प्राथमिक चिकित्सा	2
9	वाहन चालन (एहतियाती सुरक्षा)	4
10	हथियार संबंधी ज्ञान (बंदूकबाजी एवं निशानेबाजी) एवं (अन्य ऐच्छिक)	20
11	सुरक्षा उपकरणों एवं साधनों का ज्ञान (स्क्रीनिंग, तलाशी, अलार्म कॉल, एच०एच०एम०डि० एवं डी०एफ०एम०डी०)	2
12	आउटडोर परीक्षा	1